## राजस्थान वित्त निगम, जयपुर

क्रमांक : आर.एफ.सी./PA-21(1)/1260 दिनांक : 16.10.2018

### "परिपत्र"

**विषय : पत्र/पत्रावलियों को प्रस्तुत करते समय निर्णय लिये जाने से संबंधित परिपत्र संलग्न किये जाने बाबत।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रायः यह देखा गया है कि अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा जब कोई भी पत्र/प्रकरण निगम प्रबन्ध के समक्ष आवश्यक निर्णय लिये जाने के आशय से प्रस्तुत किया जाता है, तो उसमें निम्न खामियां पाई जाती है :-

1. प्रकरण में निर्णय लिये जाने हेतु कौन-कौन से परिपत्र जारी किये गये हैं।
2. प्रकरण में निर्णय लेने हेतु सक्षम अधिकारी कौन है।
3. प्रकरण में निर्णय किस परिपत्र/नियम/आदेश की अनुपालना में लिया जाना है, आदि।

अतः समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों को निर्देशित किया जाता है कि वे किसी भी पत्र/पत्रावली को निगम प्रबन्ध के समक्ष प्रस्तुत करते समय प्रकरण में निर्णय लिये जाने से संबंधित परिपत्र/आदेश/नियम आदि का हवाला देते हुए संबंधित की प्रति पत्रावली में संलग्न करें, ताकि कार्य में विलम्ब ना हो एवं पत्रावली को किसी खामी की वजह से वापस नहीं लौटाना पड़े।

**कृपया इसे प्राथमिकता दें।**

संध्या शर्मा 16/10/2018
( संध्या शर्मा )
कार्यकारी निदेशक (वित्त)

प्रतिलिपि :

समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण,
राजस्थान वित्त निगम, मुख्यालय।